अनुक्रमांक/Roll No. | | | |

M.P.H.J.S. (L.C.E.) – 2023

द्वितीय प्रश्न–पत्र
SECOND QUESTION PAPER

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 28
No. of Printed Pages : 28

निर्देश :–
Instructions :-

1. This Question Paper contains 6 Questions & the candidates are required to write answer of questions in answer Book provided for it.
   इस प्रश्नपत्र में 6 प्रश्न हैं तथा अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर इस हेतु दी गयी उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं।
2. Question No. 3(a) and 3(b) both are compulsory.
   प्रश्न क्रमांक 3(a) व प्रश्न क्रमांक 3(b) दोनो ही अनिवार्य हैं।
3. Question No. 4, No. 5 & No. 6 have internal choices.
   प्रश्न क्रमांक 4, क्रमांक 5 एवं क्रमांक 6 में आंतरिक विकल्प उपलब्ध हैं।
4. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheets. Any attempt to disclose identity, in any other part thereof, shall disqualify the candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीटों के प्रथम पृष्ठ में निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक लिखें। किसी प्रकार से किसी अन्य भाग पर कोई भी पहचान चिन्ह उजागर करने पर उम्मीदवारी निरर्हित हो जावेगी।
5. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय है तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

RULES AND ORDERS (CIVIL & CRIMINAL)
नियम एवं आदेश (व्यवहार एवं आपराधिक)

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
1(a)	Explain Rule 143 of Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1961 in light of the latest amendment ? मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1961 के नियम 143 को नवीनतम संशोधन के आलोक में स्पष्ट कीजिये ?	4
1(b)	What is required from a presiding officer under Rule117-B of the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal) at the time of considering the bail application ? मध्यप्रदेश नियम एवं आदेश (आपराधिक) के नियम 117–ख के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी से जमानत आवेदन की सुनवाई करते समय क्या अपेक्षित है ?	4
1(c)	Describe the provisions relating to service of foreign processes provided in Rule 91 to 100 of Chapter IV of the Madhya Pradesh Civil Court Rules, 1961 ? मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के अध्याय–4 के नियम 91 से 100 में वैदेशिक आदेशिकाओं से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिये ?	4
1(d)	Discuss the provisions relating to arrest or attachment before judgment and withdrawal of suits under Rule 274 and 275 of Chapter XII Part 2 of the Madhya Pradesh Civil Court Rules, 1961 ? मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय नियम, 1961 के अध्याय–12 भाग–दो, नियम 274 एवं 275 में गिरफ्तारी अथवा निर्णय के पूर्व कुर्की एवं वादों की वापसी से संबंधित दिये गये प्रावधानों की विवेचना कीजिये ?	4
1(e)	What are the directions in Rule 269 of the Madhya Pradesh Rules and Order (Criminal) regarding imposition of sentence, where the accused is a member of a aboriginal tribe ? मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) के नियम 269 में जहां अभियुक्त आदिवासी जनजाति से संबंध रखता है, के दण्डादेश के संबंध में क्या दिशा–निर्देश दिये गये है ?	4

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES
प्रचलित अग्रनिर्णयों का ज्ञान

Q.No. /प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
2.	Briefly state the principles of law laid down in the following cases. निम्नलिखित मामलों में प्रतिपादित विधि के सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।	**20**
(i)	Sukhpal Singh Khaira Vs State of Punjab, (2023) 1 SCC 289 सुखपाल सिंह खैरा विरूद्ध पंजाब राज्य (2023) 1 एस सी सी 289	
(ii)	Estate Officer Vs Colonel H.V. Mankotia (retired) (2022) 12 SCC 609 एस्टेट ऑफिसर विरूद्ध कर्नल एच. व्ही. मनकोटिया (सेवानिवृत) (2022) 12 एस सी सी 609	
(iii)	Sunil kumar @ sudhir kumar & anr. Vs State of Uttar Pradesh (2021) 5 SCC 560 सुनील कुमार उर्फ सुधीर कुमार व एक अन्य विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 5 एस सी सी 560	
(iv)	Arjun Panditrao Khotkar vs Kailash Kushanrao Gorantyal and ors. (2020) 7 SCC 1 अर्जुन पंडितराव खोतकर विरूद्ध कैलाश कुशनराव गोरंटयाल एवं अन्य (2020) 7 एस सी सी 1	

Q. No. /प्र. क्र.	Question / प्रश्न	Marks /अंक
3(a).	**Summaries (in 150 to 200 words) the facts contained in the following passage (in English) –** While dealing with a matter, the Presiding Officer of a court may extend benefit of doubt to the accused in the light of omissions, contradictions or discrepancies in the deposition of the prosecution witnesses. He may also offer comment on the conduct of parties or witnesses. He may as well make necessary observations keeping in view their demeanor. It has been rightly said that the Judges are flesh and blood mortals with likes and dislikes, preferences and prejudices and they are also normal human traits.	**5**

Thomas Reed Powell once said: "Judges have preferences for social policies as you and I. They form their judgments after the varying fashions in which you and I form ours. They have hands, organs, dimensions, senses, affections, passions. They are warmed by the same winter and summer and by the same ideas as a layman are.

At the same time, however, it cannot be overlooked that judicial restraint and discipline are equally necessary to orderly administration of justice. If there is one principle of cardinal importance in the administration of justice, it is this: the proper freedom and independence of Judges and Magistrates must be maintained and they must be allowed to perform their functions freely and fearlessly and without undue interference by anybody, even by this Court.

At the same time it is equally necessary that in expressing their opinions Judges and Magistrates must be guided by considerations of justice, fair play and restraint. It is not infrequent that sweeping generalizations defeat the very purpose for which they are made.

Judges should not use strong and carping language while criticizing the conduct of parties or their witnesses. They must act with sobriety, moderation and restraint. They must have the humility to recognize that they are not infallible and any harsh and disparaging strictures passed by them against any party may be mistaken and unjustified and if so, they may do considerable harm and mischief and result in injustice.

The Judges have the absolute and unchallengeable control of the court domain. But they cannot misuse their authority by intemperate comments, undignified banter or scathing criticism of counsel, parties or witnesses. It is a general principle of the highest importance to the proper administration of justice that derogatory remarks ought not to be made against persons or authorities whose conduct comes into consideration unless it is absolutely necessary for the decision of the case to animadvert on their conduct.

3(b). **निम्नलिखित गद्यांश में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में (150 से 200 शब्दों में) लिखिये (हिन्दी में) –** **5**

वर्तमान समय में दुनिया को नेतृत्वकर्ताओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें वो लोग चाहिये जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिये काम कर सकें। हमें वो लोग चाहिये जो बेहतर नेतृत्व करें, जिससे लोगों को फायदा हो, लेकिन यह सब कर पाने के लिये उन्हें सार्वजनिक वक्तव्य की कला में माहिर होना होगा। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिये, उसमें यह ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत से लोग मंच के नाम से ही कॉपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वो डर है जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा व्यक्ति एक बार जरूर घबराता है।

हम सभी लोग किताब पढ़कर गाड़ी चलाना नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वो उसे चलाकर सीखता है और लगभग हर कोई उस पर से एक न एक बार जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको सार्वजनिक वक्तव्य की कला सीखनी है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरूआत में आपसे गलतियॉ जरूर होंगी, लेकिन वो सभी के साथ होती हैं। उन्हीं गलतियों से सीख लेकर आप बेहतर होते हैं।

दुनिया के महान सार्वजनिक वक्ता भी जब पहली बार मंच पर गये थे तब उन्हें घबराहट हुई थी, लेकिन सार्वजनिक वक्ता बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही न लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिये। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आजाद हो सकते हैं तो इसके लिये आप तीन तरीके अपना सकते हैं।

सबसे पहले तो आप अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाईये। बहुत से लोग बिना तैयारी किये मंच पर चले जाते हैं और वहॉ जाकर यह भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं, इसलिये हमेशा अपने वक्तव्य को याद करके जाईये।

इसके बाद मंच पर आप अपने बारे में सोचना छोड़ कर दिये गये विषय के बारे में सोचिये। बहुत से लोग मंच पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर कहीं वे देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे हैं। आप यह सब न सोचकर अपने विषय पर ध्यान दीजिये।

इसके बाद जब आप बोलने के लिये जायें तो यह उम्मीद कीजिये कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाये रखिये। अपने डर को भूलकर खुले दिमाग के साथ बोलिये। शुरूआत में हर कोई अच्छा नहीं बोलता, लेकिन कुछ वक्त तक अभ्यास कर लेने के बाद सारे लोग अच्छा बोलने लगते हैं।

इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज है जो हमारी जिन्दगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सकें, तो वे आपको बहुत पसंद करने लगेंगे।

भावनायें हमारी जिन्दगी को प्रभावित करती हैं इसलिये अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं। आप जिस भी विषय पर बोल रहे हैं, उसे

आपको पूरी तरह से आत्मसात् करना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिये और उसमें पूरी तरह से उतर जाईये।

जब कलाकार अपनी भूमिका की तैयारी करते हैं तो वे उसमें भावनायें पैदा करने के लिये पूरी तरह से उस चरित्र में उतर जाते हैं। इस तरह से वे देखने वालों के अंदर भावनायें पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो अपने विषय की तैयारी अच्छे से करनी होगी।

4. **SETTLEMENT OF ISSUES** 10

Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder -

Pleadings of the plaintiffs –

This suit for partition and separate possession is filed in respect to the suit properties mentioned in schedule A, B and C annexed with plaint. KS was the original owner of the all three properties. The share of each plaintiff is 1/10th in schedule properties A and B and l/3rd in schedule property C. The daughters of late KS, K and R have filed this suit.

Plaintiffs averred that KS had two wives, S and V. Through, his first wife S, he had two sons defendant no.1 and 2 and nine daughters defendant no. 3 to 8 & plaintiffs. One daughter T has relinquished her right by getting a consideration of ₹1 crore. From his second wife V three sons and six daughters were born. Defendant no.9 and 10 are the tenants of schedule properties no. B and C respectively.

KS had been carrying on business of silk and clothes. Many immovable properties were acquired by him through the income of business. When he commenced business then defendant no. 1 and 2 were minors. Properties purchased by KS (including schedule properties) were never treated as joint family properties. KS and S had died intestate on 27.02.1970 and 10.9.1983, respectively.

Plaintiffs have further pleaded that defendant no.1 and 2 are their brothers. After the death of their parents they visited their brother's defendant 1 and 2.They kept faith and confidence in them.

Defendant no.1 and 2 took signatures of plaintiffs on several documents including power of attorney dated 15.7.1983 and 20.07.1983 on the pretext that their signatures are needed for partition and mutation proceedings. Plaintiffs, defendant no.

3 to 8 and their mother S also affixed their signatures on deed of partition dated 05.08.1983.

Plaintiffs signed on above documents in good faith without reading the contents of the said documents and without realizing the fraudulent intention and diabolical design of defendant no. 1 and 2.

In the year 1988, upon hearing the rumor that defendant no. 1 and 2 has appropriated to themselves all the properties of their parents, plaintiffs inquired from them, who gave evasive replies, and later on their behavior became aggressive and rude. Thereafter, plaintiffs came to know that defendant no. 1 and 2, with the intention to deprive their sisters of their legitimate shares in the schedule properties that they took plaintiffs signatures by committing fraud. Thereafter they revoked the power of attorney.

Pleadings of the defendants :-

Defendant no. 1 and 2 in their joint written statement denied all the material facts pleaded by plaintiffs. They have admitted the relationship between the parties. It is also admitted that KS and S died intestate and one daughter T relinquished her right in the joint family properties.

Further pleading of defendant no.1 and 2 is that KS and his three brothers had a Joint Hindu Family and joint business of silk sarees and clothes. Many properties were purchased through the income of joint business. In the year 1957 the partnership of KS and his brother dissolved and properties were partitioned. Some immovable properties came in the share of KS.

Even after the partition of the property of joint family KS, his two wives and their children remained as joint Hindu family and property was also joint Hindu family property. A coparcenary was constituted between KS and his sons.

Schedule properties were purchased by KS out of the nucleus of the immovable properties received by him in the partition took place in year1957 between him and his brothers. Some properties were acquired in the name of S and other family members. Possession over properties was joint. Several immovable properties were sold jointly, to meet the huge income tax and wealth tax liabilities.

On 21.8.1982, plaintiffs and defendant no. 1 to 8 and their mother S instituted a civil suit against the second wife of KS and her children for partition and separate possession regarding several immovable properties, including the schedule properties, in which it was averred that all the properties of KS are joint family properties, which were acquired by him from out of the nucleus of the properties received by him in a partition effected between him and his brothers.

In this suit a compromise decree was passed pursuant to a settlement arrived at between the parties. In the said compromise schedule properties were admitted to be co-parcenary properties constituted between KS and defendant no.1and 2.

The plaintiffs had relinquished their right in schedule properties. Therefore, plaintiff no.1 and 2 executed power of attorney dated 15.7.1983 and 20.07.1983 in favour of defendant no.1, whereby he was authorised to execute the partition deed, for which plaintiffs purchased stamp in their name and executed before the Sub-Registrar.

Pursuant thereto, plaintiffs along with the defendant no. 1 to 8 and their mother S jointly executed and registered deed of partition dated 5.8.1983. In this deed it was admitted that plaintiffs and defendant no. 3 to 8, has relinquished their right in the family properties, for a consideration of ₹1 (each). After that a partition of the schedule properties was effected. By virtue of above documents defendant no.1 and 2 have acquired title and possession over schedule properties.

Defendant no. 1 and 2 have specially pleaded that some properties have been transferred to defendant no. 8 and 9 vide sale deed dated 01.03.1984. Suit is beyond the period of limitation and the valuation is incorrect.

The defendant no.7 filed written statement admitting the averments of plaint, while defendant no. 5 and 6 filed memos adopting the written statement of the defendant no.7. Defendant no. 3, 4 and 8 remained exparte.

निम्नांकित तथ्यों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना कीजिये –

वादीगण के अभिवचन :–

विभाजन एवं पृथक कब्जे का यह वाद, वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूची अ, ब और स में वर्णित वादित संपत्तियों के संबंध में फाईल किया गया है। सभी तीनों संपत्तियों का वास्तविक स्वामी 'के एस' था। प्रत्येक वादी का अंश अनुसूची अ और ब की संपत्ति में 1/10 तथा अनुसूची स की संपत्ति में 1/3 है। स्वर्गीय 'के एस' की पुत्रियों 'के' और 'आर' द्वारा यह वाद फाईल किया गया है।

वादीगण ने यह कथन किया है कि 'के एस' की दो पत्नियॉ, 'एस' और 'व्ही' थीं। उसकी पहली पत्नी 'एस' से दो पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 तथा 9 पुत्रियॉ प्रतिवादी क्रमांक 3 से 8 एवं वादीगण थे। एक पुत्री 'टी' ने एक करोड रूपये का प्रतिफल लेकर उसके अधिकार का अभित्याग कर दिया है। उसकी दूसरी पत्नी 'व्ही' से तीन पुत्र एवं छः पुत्रियॉ उत्पन्न हुई थीं। प्रतिवादी क्रमांक 9 और 10 क्रमशः अनुसूची ब और स की संपत्ति के किरायेदार हैं।

'के एस' द्वारा सिल्क एवं कपड़े का व्यापार किया जा रहा था। उसके द्वारा व्यापार की आय से कई अचल संपत्तियॉ अर्जित की गई थी। जब उसने व्यापार प्रारंभ किया था तब प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 अवयस्क थे। 'के एस' द्वारा क्रय की गई संपत्तियॉ, जिनमें अनुसूची की संपत्तियॉ भी सम्मिलित थीं, संयुक्त परिवार की संपत्तियों के रूप में व्यवहृत नहीं की गई थीं। 'के एस' और 'एस' की क्रमशः दिनाँक 27.02.1970 और 10.09.1983 को निर्वसीयती मृत्यु हो गई थी।

वादीगण के द्वारा उत्तरतः यह अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 उनके भाई हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद वे भाईयों प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 से मिलने के लिए जाया करती थी। वे उन पर भरोसा और विश्वास रखती थीं।

प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादीगण के हस्ताक्षरों की आवश्यकता विभाजन एवं नामांतरण कार्यवाहियों में होने के बहाने से कतिपय दस्तावेजों, जिनमें पावर ऑफ अटार्नी दिनाँक 15.07.1983 और 20.07.1983 भी थे, पर उनके हस्ताक्षर करवा लिये थे। वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक 3 से 8 एवं उनकी मॉ 'एस' द्वारा भी विभाजन विलेख दिनाँक 05.08.1983 पर हस्ताक्षर किये गये थे।

वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के कपटपूर्ण आशय एवं दोषपूर्ण अभिप्राय को समझे बिना उन पर विश्वास के कारण उपरोक्त दस्तावेजों की अंतर्वस्तुओं को पढ़े बिना हस्ताक्षर कर दिये थे।

वर्ष 1988 में यह अफवाह सुनकर कि प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने उनके माता पिता की संपूर्ण संपत्ति को अपने नाम करा लिया है वादीगण ने उनसे जानकारी ली, उनके द्वारा कुटिलतापूर्ण उत्तर दिया गया और बाद में उनका व्यवहार उग्र और रूखा हो गया। इसके बाद वादीगण को यह जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण द्वारा उन पर कपट करते हुये उसकी बहनों को अनुसूची की संपत्तियों में से उनके वैध हिस्से से वंचित कराने के आशय से वादीगण से हस्ताक्षर कराये थे। इसके बाद उनके द्वारा मुख्तारनामा रद्द कर दिया गया।

प्रतिवादीगण के अभिवचन :–

प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने उनके संयुक्त लिखित कथन में वादीगण द्वारा अभिवचनित किये गये सभी तात्विक तथ्यों को अस्वीकार किया है। उन्होंने पक्षकारों के मध्य संबंधों को स्वीकार किया है। उन्होनें यह स्वीकार किया है कि 'के एस' और 'एस' की मृत्यु निर्वसीयती हुई थी और एक पुत्री 'टी' ने संयुक्त परिवार की संपत्ति में से उसके हक का अभित्यजन किया था।

प्रतिवादीगण का आगे यह अभिवचन है कि 'के एस' और उसके तीन भाईयों का संयुक्त हिन्दु परिवार था एवं सिल्क साड़ी और कपड़े का संयुक्त व्यवसाय था। संयुक्त व्यवसाय की आय से अनेक सम्पत्तियाँ खरीदी गई थी। वर्ष 1957 में 'के एस' एवं उसके भाईयों की भागीदारी का विघटन हो गया और संपत्ति का विभाजन हो गया था। कुछ अचल संपत्तियां 'के एस' के हिस्से में आई थीं।

संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के पश्चात् भी 'के एस', उसकी दोनों पत्नियों एवं उनसे उत्पन्न संतानों का संयुक्त हिन्दू परिवार बना रहा था और संपत्ति भी संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति थी। 'के एस' एवं उसके पुत्रों के मध्य सहदायिकी निर्मित हुई।

अनुसूची की संपत्तियॉ 'के एस' द्वारा वर्ष 1957 में उसके तथा उसके भाईयों के मध्य हुये विभाजन में प्राप्त संपत्तियों के केंद्रक से क्रय की गई थीं। कुछ संपत्तियॉ 'एस' और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित की गई थीं। संपत्तियों पर आधिपत्य संयुक्त था। अनेक अचल संपत्तियॉ अत्यधिक आयकर एवं संपत्तिकर के दायित्व को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से विक्रय की गई थी।

दिनाँक 21.08.1982 को वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 और उनकी मॉ 'एस' द्वारा 'के एस' की दूसरी पत्नी एवं उसकी संतानों के विरूद्ध अचल संपत्तियों, जिनमें अनुसूची की संपत्तियॉ भी थीं, के संबंध में विभाजन एवं पृथक कब्जे का वाद फाईल किया था, जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि 'के एस' की सभी संपत्तियॉ संयुक्त परिवार की हैं जो उसने, उसके और उसके भाईयों के मध्य हुये विभाजन में प्राप्त संपत्तियों के केंद्रक से क्रय की थी।

इस वाद में पक्षकारों के मध्य हुये समझौते के अनुसरण में एक समझौता डिक्री पारित की गई थी। उस राजीनामा में यह स्वीकार किया गया था कि अनुसूची की संपत्तियाँ सहदायिक हैं जो 'के एस' और प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 के मध्य गठित हुई थी।

वादीगण ने अनुसूची की संपत्तियों में से उनके अधिकार का त्याग कर दिया था। उक्तानुसार वादी क्रमांक 1 और 2 ने मुख्तारनामा दिनाँक 15.07.1983 और 20.07.1983 प्रतिवादी क्रमांक 1 के हित में निष्पादित किया था, जिसके द्वारा उन्हें विभाजन विलेख निष्पादित करने के लिये प्राधिकृत किया गया था, जिनके लिये वादीगण ने उनके नाम से स्टाम्प क्रय किये थे तथा उन्हें सब–रजिस्ट्रार के समक्ष निष्पादित किया था।

इसके अनुसरण में वादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 और 8 एवं उनकी मॉ के साथ संयुक्त रूप से, रजिस्टर्ड विभाजन विलेख दिनाँक 05.08.1983 निष्पादित किया था। इस विलेख में यह स्वीकार किया गया था कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 से 8 द्वारा पारिवारिक संपत्तियों में अपने अधिकार का अभित्याग प्रत्येक द्वारा एक रूपये प्रतिफल लेकर कर दिया गया है। इसके बाद अनुसूची की संपत्तियों का विभाजन प्रभावी किया गया था। उक्त दस्तावेजों के प्रभाव से

प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुसूची की संपत्तियों पर हक व कब्जा प्राप्त कर लिया है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिवचन किया है कि कुछ संपत्तियॉ प्रतिवादी क्रमांक 8 और 9 को विक्रय विलेख दिनाँक 01.03. 1984 द्वारा विक्रय कर दी गई हैं। वाद परिसीमा के बाहर है और मूल्यांकन गलत है।

प्रतिवादी क्रमांक 7 द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत कर वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 5 व 6 ने ज्ञापन प्रस्तुत कर प्रतिवादी क्रमांक 7 के लिखित कथन को स्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रमांक 3, 4 एवं 8 एकपक्षीय रहे हैं।

अथवा / OR

FRAMING OF CHARGES

Frame charge(s) on the basis of allegations given here under :-

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS :-

The prosecution case, in a nutshell, is that on 02.10.2013 complainant Ajay was going towards house of his relative. When he reached near the Peepal tree, accused Prakash and accused Virendra restrained him. Accused Prakash, on the pretext of teasing and harassing his sister, made an altercation with Ajay and with the intention of killing fired on him with a country made Katta. When Katta didn't fire then accused Prakash assaulted Ajay on his head with the butt of katta. Accused Prakash and accused Virendra, with the common intention of killing Ajay, assaulted him on his head and above left eye by Guptis and caused injuries. Both the accused also beated Ajay by fists and kicks. When Ajay fell on the ground then accused Prakash picked up a stone from the road and threw it on the head of Ajay. Thereafter, Ajay was admitted to the hospital.

Police, after receiving information from the hospital, reached hospital and registered Dehati Nalishi against Accused persons. Thereafter, First Information Report was registered in the Police Station.

During investigation Ajay was medically examined. Spot Map was prepared. Both accused were arrested and their

memorandum under section 27 of the Indian Evidence Act was recorded. As per the information given by accused Prakash, country made katta and an empty cartridge were seized. As per the information given by accused Virendra, a Gupti, having a sharp blade of 6 inches of length, was seized from his possession.

After investigation charge sheet was filed against accused Prakash and Virendra, before the Court.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये :–

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन :–

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनाँक 02.10.2013 को प्रार्थी अजय अपने रिश्तेदार के घर की ओर जा रहा था। जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो अभियुक्त प्रकाश एवं अभियुक्त वीरेन्द्र ने उसे अवरूद्ध किया। अभियुक्त प्रकाश ने उसकी बहन को छेड़ने एवं परेशान करने के बहाने से, अजय के साथ विवाद किया तथा जान से खत्म करने की नीयत से उस पर देशी कट्टे से फायर किया। कट्टा फायर नहीं हुआ तो अभियुक्त प्रकाश ने कट्टे की मूठ से अजय के सिर पर वार किया। अभियुक्त प्रकाश एवं अभियुक्त वीरेंद्र ने एक राय होकर अजय को जान से खत्म करने की नीयत से गुप्तियों से सिर एवं बांयी ऑख के ऊपर वार कर चोटें पहुॅचाईं। दोनों अभियुक्तगण ने अजय के साथ लात–घूसों से भी मारपीट की। जब अजय जमीन पर गिरा तो अभियुक्त प्रकाश ने सड़क पर पड़े पत्थर को उठाकर अजय के सिर पर पटक दिया। तत्पश्चात् अजय को अस्पताल में भर्ती किया गया।

पुलिस अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर, अस्पताल पहुॅची और अभियुक्तगण के विरूद्ध देहाती नालिशी लेखबद्ध की। तत्पश्चात् पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।

अन्वेषण के दौरान अजय का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। घटना स्थल का नक्शा बनाया गया। दोनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उनके मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी प्रकाश से उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा एवं खाली कारतूस जप्त किया गया। अभियुक्त वीरेंद्र के कब्जे से उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक 6 इंच लंबे फल वाली धारदार गुप्ती जप्त की गई।

अन्वेषणोपरांत न्यायालय के समक्ष अभियुक्त प्रकाश तथा वीरेन्द्र के विरूद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया था।

JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
5.	**JUDGMENT WRITING (CIVIL)**	30

Frame issues on the basis of pleadings given below and write a judgment based on marshalling and appreciation of the evidence, along-with the relevant provisions of Law/Act :-

Plaintiff's Pleadings **:-**

The respondent/plaintiff have filed this suit for declaration and permanent injunction with respect to a house no. 324/979, situated at Ganesh Bazar Bhopal (hereinafter called "suit house").

As per plaintiff's case, Rama devi had two children, one son Narayan and one daughter Kishori. Her husband Lal ji had died during her lifetime. The suit house was purchased by Rama devi from her self earned income. The plaintiffs are the sons of Kishori and defendant Rekha is wife of Narayan. Nand lal was father of plaintiffs.

After death of Rama devi her legal heir Narayan and Kishori became owner of the suit house in equal proportion. By virtue of oral partition taken place between legal heirs of Rama devi, suit house fell in the share of Kishori. She became the owner of suit house.

She executed a will dated 23.5.1996 and bequeathed the property in favour of the plaintiffs and their father. After death of parents ownership vested in plaintiffs by virtue of the will and succession. Plaintiffs' father had constructed a hotel over some portion of the house named as 'Hotel Lotus'. They had been residing in the suit house.

On 10.09.2011 plaintiffs came to know for the first time that name of defendant was mutated in municipal record, when defendant published a notice in news paper to the effect that she executed a deed of agreement to sale and had intention to sell the suit house.

Entries of name of late Narayan and thereafter defendant were made in connivance of concerning authorities of municipal corporation, without giving information to plaintiffs or their father or mother. The plaintiffs are the owner of the suit house; however, the defendant is trying to sale the suit house.

Defendant's Pleadings :-

The defendant/appeallant in her written statement denied entire material facts averred by plaintiffs. She has pleaded that Rama devi died on 29.12.1972. After her death, the suit house was recorded in the name of her husband Narayan in the records of Municipal Corporation. After death of her husband, her name was recorded as owner of the suit house.

During his life time Narayan had been enjoying the house. After his death defendant is in possession over the suit house as owner. She is residing in the house. Kishori had no right to execute the will in regard to suit house. Mutation of Narayan and her name was made in municipal record after complying with legal procedure. The suit is beyond limitation.

Plaintiff's Evidence :-

Plaintiffs have relied upon Will (Ex.P-1) executed by their mother in favour of plaintiffs and their father, Notice (Ex.P-2) published by defendant, News paper (Ex.P-3) in which notice that Defendant has executed an agreement to sell of the house is published, Copy (Ex.P-4) issued by Municipal corporation, wherein name of defendant is written and Affidavit (Ex.P-5) given by defendant in Municipal corporation.

In his evidence plaintiff (P.W.-1) has repeated the same fact as mentioned in plaint. He has exhibited Notice (Ex.P-2) and copy of News paper (Ex.P-3) dated 10.09.2011.

Plaintiff (P.W.-1) has admitted that plaintiffs had not taken any step with regard to recording their names after death of their father or mother. Neither they nor their parents submitted any objection in municipal corporation. Particular of the house has not been mentioned in the will. He had no knowledge that when the oral partition had taken place. On the basis of the will, they did not submit any application before any department with regard to recording names of the plaintiffs. On the ground floor two tenants had been residing in some portion of the suit house and they had been paying the rent to Narayan and after his death, the rent was paid to the defendant.

Execution of Will (Ex.P-1) has been proved by plaintiff (P.W.-1) and Dubey (P.W.-2), who have stated that Will (Ex.P-1) executed by Kishori was prepared by the father of plaintiffs, who was an advocate. Kishori put her signature in their presence. They also made his signatures. Will dated 23.5.1996 (Ex.P-1) is an unregistered will. Oral partition was affected between Kishori and Narayan.

Khatri (P.W.-3), the tax-collector of Municipal corporation, has Exhibited the record of Municipal Corporation. He has deposed that he was working as Tax Collector in the municipal corporation and he had brought the record of house. Defendant had deposited property tax of the house upto 2011 and her name is recorded as owner in the record of the Municipal Corporation.

Defendant's Evidence **:-**

Defendant/appeallant has produced house tax receipts (Ex.D-1 & D-2), copies of electricity bill (Ex.D-3 & D-4) and receipts of water tax (Ex.D-5).

Evidence of defendant (D.W.-1) is similar to her pleadings. She denied the factum of oral or written partition during the lifetime of Rama devi or after her death between her husband and Kishori. After the death of Rama Devi name of Narayan was recorded in the records of Municipal Corporation, Water Works Department and Electricity Department. He died on 18.6.2009. After his death, her name was recorded as owner of the house.

Smt. Sarla (D.W.-2) has deposed that her father-in-law had taken a tea shop on rent which is the part and parcel of the suit house from Rama Devi, they had been paying rent to her. After her death, they had paid the rent to Narayan and after death of Narayan, the rent has been paid to the defendant. After death of Narayan, defendant has been residing in the house.

Admitted facts are :-

That Rama devi was mother of Narayan and Kishori. Plaintiffs are son of Kishori and Nandlal. Defendant is the wife of Narayan. Rama devi, Narayan, Kishori and Nandlal died

before filing of the suit. Rama devi died on 29.12.1972, Narayan died on 28.08.2006.

After death of Rama devi name of Narayan had been entered in record of municipal corporation. After his death name of defendant has been recorded as owner. Entries in municipal record were made in the year 1982 and 2007. Will dated 23.5.1996 (Ex.P-1) is unregistered. Suit was filed on 20.12.2013.

Trial court decreed the suit holding that the Will (Ex.P-1) was executed by Kishori in favour of the plaintiffs. Share of plaintiffs and defendant is equal in the suit house by virtue of oral partition taken place between the mother of the plaintiffs and husband of the defendant.

Arguments of Plaintiff **:-**

Learned counsel appearing on behalf of the respondent/plaintiff has contended that cause of action arose on 20.11.2013 when defendant tried to sell the suit house for the first time. Suit has been filed on 20.12.2013 therefore, it is within limitation. The mother of the plaintiffs was legal heir of Rama devi, after her death she get equal share in the suit house in accordance with the provisions of Hindu Succession Act.

As plaintiffs are the successor of Kishori and on the basis of Will (Ex. P-1) plaintiffs are the owner of suit house, after the death of Kishori.

Arguments of Defendant **:-**

Learned counsel appearing on behalf of the appellant/defendant has contended that the suit is beyond limitation. Plaintiffs have failed to prove the execution of Will (Ex.P-1) and oral partition allegedly affected between Kishori and Narayan. Learned trial court has erred in decreeing the suit in favour of plaintiffs.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के साथ साक्ष्य का क्रमबंधन एवं मूल्यांकन करते हुए निर्णय लिखिये :–

वादीगण के अभिवचन :–

वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने यह वाद गणेश बाजार, भोपाल स्थित भवन

क्रमांक–324/979 (इसके पश्चात "वादग्रस्त मकान" से संबोधित) के संबंध में घोषणा और शाश्वत निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

वादीगण के मामले के अनुसार रामा देवी की दो संतानें थीं, एक पुत्र नारायण और एक पुत्री किशोरी। उसके पति लालजी की उसके जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई थी। रामा देवी ने वादग्रस्त मकान उसके स्वयं की अर्जित आय से क्रय किया था। वादीगण किशोरी के पुत्र हैं और प्रतिवादी रेखा, नारायण की पत्नी है। नंदलाल वादीगण के पिता थे।

रामा देवी की मृत्यु के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारी नारायण और किशोरी वादग्रस्त मकान के बराबर भाग के स्वामी हो गए। रामा देवी के विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य हुए मौखिक बंटवारे के आधार पर वादग्रस्त मकान किशोरी के हिस्से में आया था। वह वादग्रस्त मकान की स्वामी हो गई।

उसने दिनाँक 23.05.1996 को वसीयत निष्पादित की और संपत्ति वादीगण एवं उनके पिता को वसीयत कर दी। माता–पिता की मृत्यु के बाद वसीयत और उत्तराधिकार के आधार पर वादीगण में स्वत्व निहित हो गया। वादीगण के पिता ने मकान के कुछ भाग पर 'होटल लोटस' नाम से एक होटल निर्मित किया था। वे वादग्रस्त मकान में निवासरत थे।

वादीगण के ज्ञान में सर्वप्रथम दिनाँक 10.09.2011 को नगर पालिक निगम के अभिलेख में प्रतिवादी का नाम नामांतरण होने की जानकारी आई थी, जब प्रतिवादी ने समाचार पत्र में उसके द्वारा विक्रय अनुबंध विलेख निष्पादित कर देने और उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेचने का आशय रखने की सूचना का प्रकाशन कराया था।

स्वर्गीय नारायण और उसके पश्चात् प्रतिवादी के नामों की नगर पालिक अभिलेख में प्रविष्टि संबंधित अधिकारियों के साथ दुःरभि संधि से, वादीगण अथवा उसके पिता–माता को सूचना दिए बिना की गई थी। वादीगण वादग्रस्त मकान के स्वामी हैं परन्तु प्रतिवादी, वादग्रस्त भूमि को बेचने के लिए प्रयासरत है।

<u>प्रतिवादीगण के अभिवचन</u> **:–**

प्रतिवादी/अपीलार्थी ने अपने लिखित कथन में वादीगण द्वारा अभिवचनित समस्त तात्विक तथ्यों को प्रत्याख्यात किया है। उसने यह अभिवचन किया है कि रामा देवी की दिनाँक 29.12.1972 को मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद वादग्रस्त मकान उसके पति नारायण के नाम से नगर निगम के अभिलेख में अभिलिखित है। उसके पति की मृत्यु के बाद उसका नाम वादग्रस्त मकान के स्वामी के रूप में अभिलिखित किया गया था।

नारायण उनके जीवनकाल में मकान का उपभोग करते रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी स्वामी के रूप में मकान पर काबिज है। वह मकान में निवासरत हैं। किशोरी को वादग्रस्त मकान की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। नगर निगम अभिलेख में नारायण और उसके नाम का नामांतरण विधिक प्रक्रिया को अनुपालन करके किया गया है। वाद परिसीमा से बाहर है।

<u>वादीगण की साक्ष्य</u> **:–**

वादीगण ने, उनकी मां द्वारा वादीगण एवं उनके पिता के हित में निष्पादित

वसीयत (प्रदर्श पी–1), प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित सूचना (प्रदर्श पी–2), समाचार पत्र (प्रदर्श पी–3) जिसमें प्रतिवादी द्वारा मकान का विक्रय अनुबंध निष्पादित किए जाने की सूचना प्रकाशित है, नगर निगम द्वारा प्रदत्त प्रतिलिपि (प्रदर्श पी–4) जिसमें प्रतिवादी का नाम लिखा हुआ है और प्रतिवादी द्वारा नगर निगम में दिया गया शपथ पत्र (प्रदर्श पी–5) पर विश्वास किया है।

वादी (वा. सा.–1) ने स्वयं की साक्ष्य में वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की है। उसने सूचना पत्र (प्रदर्श पी–2) और समाचार पत्र (प्रदर्श पी–3) दिनाँक 10.09.2011 की प्रतिलिपि को प्रदर्शित किया है।

वादी (वा. सा.–1) ने स्वीकार किया है कि वादीगण ने उनके पिता अथवा मां की मृत्यु के पश्चात् उनके नाम अभिलिखित कराने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की थी। न तो उन्होंने और न ही उनके माता–पिता ने नगर निगम में कोई आपत्ति प्रस्तुत की थी। वसीयत में मकान की विशिष्टियां लेख नहीं की गई हैं। उसे इसकी जानकारी नहीं है कि मौखिक बंटवारा कब हुआ था। वसीयत के आधार पर उनके द्वारा किसी भी विभाग में वादीगण का नाम अभिलिखित कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। वादग्रस्त मकान के भूतल के कुछ भाग पर दो किराएदार रह रहे हैं और वे नारायण को किराया दे रहे थे और उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी को किराया दिया गया था।

वसीयत (प्रदर्श पी–1) का निष्पादन वादी (वा. सा.–1) व दुबे (वा. सा.–2) ने साबित किया है, जिन्होंने यह बताया है कि किशोरी द्वारा निष्पादित वसीयत (प्रदर्श पी–1) वादीगण के पिता, जो एक अभिभाषक थे, ने तैयार की थी। किशोरी ने उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे। उनके द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे। वसीयत दिनाँक 23.05.1996 (प्रदर्श पी–1) अपंजीकृत वसीयत है। किशोरी और नारायण के मध्य मौखिक बंटवारा हुआ था।

खत्री (वा. सा.–3), नगर निगम कर संग्राहक ने नगर निगम का अभिलेख प्रदर्शित कराया है। उसने बताया है कि वह नगर निगम में कर संग्राहक के रूप में कार्य कर रहा है और वह मकान का अभिलेख लाया है। प्रतिवादी द्वारा 2011 तक मकान का संपत्ति कर जमा कर दिया है और उसका नाम नगर निगम में भूस्वामी के रूप में लिखा हैं।

प्रतिवादीगण की साक्ष्य :–

प्रतिवादी/अपीलार्थी ने भवन कर की रसीद (प्रदर्श डी–1 व डी–2), विद्युत बिल की प्रतिलिपि (प्रदर्श डी– 3 व डी–4) और जलकर की रसीद (प्रदर्श डी–5) प्रस्तुत की हैं।

प्रतिवादी (प्र.सा.–1) की साक्ष्य उसके अभिवचनों के समान है। उसने रामा देवी के जीवनकाल अथवा उनकी मृत्यु के बाद उसके पति और किशोरी के मध्य हुये मौखिक अथवा लिखित बंटवारे का होना अस्वीकार किया है। रामादेवी की मृत्यु के बाद नारायण का नाम नगर निगम, वाटर वर्क विभाग और विद्युत विभाग के अभिलेखों में अभिलिखित किया गया था। उनकी मृत्यु दिनाँक 18.06.2019 को हो गई है। उनकी मृत्यु के बाद उसका नाम भवन स्वामी के रूप में दर्ज किया गया था।

श्रीमती सरला (प्र.सा.–2) ने अभिसाक्ष्य दी है कि उसके श्वसुर ने एक चाय की दुकान जो वादग्रस्त मकान का भाग है, रामा देवी से किराए पर ली थी, वे उसे किराया दे रहे थे। रामा देवी की मृत्यु के पश्चात् उनके द्वारा नारायण को

किराया दिया जा रहा था और उसकी मृत्यु के पश्चात् उनके द्वारा प्रतिवादी को किराया दिया जा रहा है। नारायण की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी मकान में निवासरत हैं।

स्वीकृत तथ्य हैं :–

रामा देवी, नारायण और किशोरी की मॉ थी। वादीगण किशोरी और नंदलाल के पुत्र हैं। प्रतिवादी नारायण की पत्नी है। रामा देवी नारायण, किशोरी और नंदलाल की मृत्यु वाद प्रस्तुत करने के पूर्व हो गई है। रामा देवी की मृत्यु दिनाँक 29.12.72 को और नारायण की मृत्यु दिनाँक 28.08.2006 को हुई थी।

रामादेवी की मृत्यु के पश्चात् नारायण का नाम नगर निगम में लेख किया गया था। उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी का नाम स्वामी के रूप में लेख किया गया है। नगर निगम अभिलेख में प्रविष्टियां 1982 और 2007 में की गई थीं। वसीयत दिनाँक 23.05.1996 (प्रदर्श पी–1) अपंजीकृत है। वाद दिनाँक 20.12.2013 को फाईल किया गया था।

विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए यह वाद डिक्री किया है कि किशोरी ने वसीयत (प्रदर्श पी–1) का निष्पादन वादीगण के हित में किया था। वादीगण और प्रतिवादीगण का वादग्रस्त मकान में वादीगण की मां और प्रतिवादी के पति के मध्य हुए मौखिक बंटवारे के आधार पर बराबर का हिस्सा है।

तर्क वादी :–

प्रत्यर्थीगण/वादीगण की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि वाद हेतुक दिनाँक 20.11.2013 को उत्पन्न हुआ था, जब प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का पहली बार प्रयत्न किया था। वाद 20.12.2013 को फाईल किया गया है इस कारण वह परिसीमा के अंदर है। वादीगण की माँ रामादेवी की विधिक उत्तराधिकारी थी, उनकी मृत्यु के पश्चात् हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे वाद मकान में आधा हिस्सा प्राप्त हुआ था।

किशोरी की मृत्यु के पश्चात् वसीयत (प्रदर्श पी–1) के आधार पर एवं किशोरी के उत्तराधिकारी होने के कारण वादीगण वादग्रस्त मकान के स्वामी हैं।

तर्क प्रतिवादी :–

अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान काउन्सेल ने यह निवेदन किया है कि वाद परिसीमा के बाहर है। वादी वसीयत (प्रदर्श पी–1) का निष्पादन और किशोरी और नारायण के मध्य कथित मौखिक बंटवारा होना साबित करने में असफल रहे हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में डिक्री पारित करने में गलती की है।

अथवा / OR

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Frame the charge on the basis of prosecution case and write a judgment with reason based upon the facts, evidence and arguments given below :-

Prosecution Case :-

The prosecution case, in a nutshell, is that the deceased Sangeeta Saket was married to accused 13 years prior to death and from their wedlock one daughter and two sons were borne. The daughter Madhu Saket is of 12 years and two sons are of 8 and 4 years. On 12-11-2018 the deceased Sangeeta Saket was brought to M.Y.Hospital Indore with the complaint that she has consumed poison. She was examined by the doctor, who declared her brought dead. The intimation was given to reporting Police Choki M. Y. Hospital, on that basis of Marg no.-0/2018 was registered under Setion 174 of Criminal Procedure Code, 1973. Dead body of deceased was inspected by Executive Magistrate, and postmortem was conducted by Dr. Yashwant Singh. The intimation was sent to concern Police Station Lasudiya where, Marg no.-81/2018 was registered and the inquiry was handed over to C.S.P. Vijay Nagar. On the inquiry, it was found that the accused was harassing his wife physically and mentally and due to that torture and cruelty she consumed poison and died. A First Information Report on crime number-68/2019 under Section 306 of Indian Penal Code, 1860 was registered and after usual investigation the accused was arrested on 02-03-2019. The seized property i.e. **sample visceral organ** of the deceased were sent to Regional Forensic Science Laboratory Indore and the charge-sheet was filed before Judicial Magistrate First Class Indore.

Defence Plea :-

The accused has admitted that the deceased has committed suicide but he has denied the charges and pleaded that he is innocent.

Evidence for prosecution :-

Prosecution witnesses Rambhan Saket (PW-1), Sudha Saket (PW-3), Kusumi Saket (PW-4) have stated that they got the information that Sangeeta Saket has consumed the poison and she was taken to hospital and when they reached hospital the deceased was found dead and autopsy was conducted over the dead body.

Dr. Yashwant Singh (PW-6) has stated that on 12-12-2018 he examined the dead body and conducted autopsy of deceased Sangeeta Saket w/o Deepak Saket. No external or internal injuries were found in the body of the deceased and symptoms of poisoning were present over her body. The deceased died 12 to 24 hours prior to postmortem. He has collected the piece of small intestine, piece of liver and both kidneys and preserved them in a liquid for chemical examination and prima facie in his opinion the deceased died due to poisoning. This witness has proved postmortem report Ex. P-4. V.S. Bariba (P.W.-11) Investigation officer has proved the draft sent to FSL Indore Ex.P-12, the FSL report Ex.P-13. According to the FSL report Ex.P-13 chemical poison aluminum phosphide pesticide was present in viscera sample.

Parvati Saket (PW-2) states that before death the deceased Sangeeta Saket came to her home and she remained in their home for 4 days. The accused Deepak came to bring her back to his home and dragged her in the courtyard of her home and bring her to his home. Her daughter has told that Deepak had beaten her, so she had came her mother's home with her children and when Deepak bring her daughter to his matrimonial home, the deceased died after 8 days.

Witness Sudha Saket (PW-3) has also supported the facts that Sangeeta came in their home, 8 days before death and the children of Sangeeta has also came with her. Sangeeta told that her husband has beaten her and whole night she was sitting out of her home and on next day she came in her mother home. After 4 days accused Deepak came to fetch her and asked to come to her matrimonial home, and asked why she came in her father's home, on that Sangeeta replied to her husband that in a long time she has not visited her mother home. Then deepak threaten her and told that he will see her in his home and after dragging her brought Sangeeta to his home.

Witness Kusumi Saket (PW-4) has supported the evidence of above witnesses.

Evidence for defence **:-**

The defence has not produced any witness on its own behalf but by the cross examination of the prosecution witnesses has tried to prove his defence. Rambhan Saket (PW-1) in para-4 of the cross-examination had admitted that the marriage of her

sister was celebrated in a good atmosphere. There was no problem to her sister. She used to come to her father's home from matrimonial home and returning to her matrimonial home from father's home happily. Whenever he used to call his sister from Haryana she always told that she is well.

Witness Parvati Saket (PW-2) the mother of deceased, in her cross-examination has admitted that accused has never assaulted her daughter Sangeeta in front of her. The marriage was solemnized happily. She has never made any complaint against the accused to the police. Her daughter deceased Sangeeta has also not filed any complaint of any kind to police against the accused. She has not filed any complaint regarding dragging her daughter in front of her.

In the same way, Witness Sudha Saket (PW-3) has admitted the fact that her sister-in-law Sangeeta was dragged has been stated to police, but if this fact is not written in her statement (Ex. D-1) she can't explain.

Witness V.S. Bariba (PW-11) has admitted the fact that the statement of Sudha Saket was written as per her narration. As per this witness also, she has not stated before the police officer that accused threaten deceased Sangeeta on her mother's home or dragged her.

Arguments of Prosecutor **:-**

Prosecution has argued that accused wife has committed suicide by consuming poison. The deceased was treated with cruelty so the accused is liable to be punished for the abatement of suicide.

Arguments of Defence**: -**

The defence on the basis of cross examination argued that he has not committed any cruelty. The marriage has taken place 13 years prior to death so presumption under Section 113A of the Evidence Act is not applicable against him so he is acquitted.

अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार सकारण निर्णय लिखिये :–

अभियोजन का प्रकरण :–

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि मृतका संगीता साकेत का विवाह अभियुक्त से मृत्यु के 13 वर्ष पूर्व हुआ था और दोनों के संसर्ग से एक पुत्री तथा दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। पुत्री मधु साकेत 12 वर्ष की है तथा दो पुत्र 8 एवं 4 वर्ष के हैं। दिनांक 12.11.2018 को मृतका संगीता साकेत को एम.वाय. अस्पताल इन्दौर में इस शिकायत के साथ लाया गया था कि उसने जहर खा लिया है। डाक्टर द्वारा उसका परीक्षण किया गया जिसने उसे मृत अवस्था में लाया जाना घोषित किया। इसकी सूचना रिपोर्टिंग पुलिस चौकी एम.वाय. हॉस्पिटल को दी गयी, जिसके आधार पर मर्ग क्र. 0/2018 अंतर्गत धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता पंजीकृत किया गया। मृतका के शव का निरीक्षण कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था तथा डॉ. यशवंतसिंह द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस स्टेशन लसुड़िया को सूचना भेजी गई थी, जहां पर मर्ग क्र. 81/2018 दर्ज किया गया और मर्ग की जांच सी.एस.पी. विजय नगर को सौंपी गई। मर्ग जांच में यह पाया गया कि आरोपी द्वारा अपनी पत्नी मृतका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उस प्रताड़ना और क्रूरता के फलस्वरूप मृतका जहर खाकर मरी थी। अपराध क्र. 68/2019 पर धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी और औपचारिक अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त को दिनांक 02.03.2019 को गिरफ्तार किया गया था। जप्त सम्पत्ति मृतका के विसरा का नमूना परीक्षण के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला इन्दौर भेजा गया था और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :–

अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि मृतका ने आत्महत्या की है, परन्तु उसने आरोपों से इन्कार किया है और कहा है वह निर्दोष है।

अभियोजन की साक्ष्य :–

अभियोजन साक्षी रामभान साकेत (अ.सा.1), सुधा साकेत (अ.सा.3), कुसमी साकेत (अ.सा.4) ने बतलाया है कि उन्हें यह सूचना मिली थी कि संगीता साकेत ने जहर खा लिया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, और जब वह अस्पताल पहुंचे तो देखा, मृतका मर चुकी थी और मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया गया था।

डॉ. यशवंत सिंह (अ.सा.6) ने कहा है कि उसने दिनांक 12.12.2018 को मृतका के शव का परीक्षण किया था और मृतका संगीता पत्नी दीपक साकेत के शव का पोस्टमार्टम किया था। मृतका के शरीर पर कोई बाह्य अथवा आंतरिक चोट नहीं पायी गई थी, शरीर में जहर के लक्षण प्रकट हो रहे थे। मृतका की मृत्यु शव परीक्षण के 12 से 24 घण्टे के पूर्व हुई थी। उसने मृतका की छोटी आंत, लीवर का टुकड़ा एवं दोनों किडनी को रासायनिक परीक्षण के लिए द्रव में संरक्षित किया था और उसके मत में प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण जहर खाना था। इस साक्षी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 प्रमाणित की गई है। व्ही. एस. बरीबा

(अ.सा.11) ने नमूना क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला इन्दौर भेजने का ड्राफ्ट प्रदर्श पी–12 तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 पेश किया है, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 के अनुसार मृतका के विसरा के सेम्पल में एल्युमिनियम फॉस्फाईड कीटरोधी रासायनिक विष पाया गया था।

पार्वती साकेत (अ.सा.2) ने कहा है कि मृत्यु के पूर्व संगीता उसके घर आयी थी और 4 दिन रूकी थी। अभियुक्त दीपक उसे वापस लेने आया था और उसे घर के आंगन में घसीटा था और अपने घर ले गया था। उसकी पुत्री ने बताया कि दीपक ने उसे मारा है, इसलिए वह अपने बच्चों के साथ अपनी मां के घर आयी है और जब दीपक उसकी पुत्री को ससुराल ले गया था, उसके 8 दिन के बाद उसकी पुत्री संगीता की मृत्यु हो गयी।

साक्षी सुधा साकेत (अ.सा.3) ने भी उक्त तथ्यों का समर्थन किया है कि मृत्यु के आठ दिन पूर्व संगीता उनके घर आई थी और संगीता के साथ उसके बच्चे भी आये थे। संगीता ने कहा था कि उसके पति ने उसे मारा था और पूरी रात वह घर के बाहर बैठी रही और अगले दिन वह अपने मायके आ गई। चार दिन बाद आरोपी दीपक उसे लेने आया था और उसे अपनी ससुराल चलने के लिए कहा था और पूछा था कि वह अपने मायके क्यों आई है ? तब संगीता ने कहा था कि वह लंबे समय से अपने मायके नहीं आई थी। तब दीपक ने मृतका को धमकाया था कि वह उसे अपने घर पर देख लेगा और वह संगीता को घसीटता हुआ अपने घर ले गया था।

साक्षी कुसमी साकेत (अ.सा.4) ने उक्त साक्षीगण की अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है।

बचाव साक्ष्य :–

बचाव पक्ष ने स्वयं की ओर से कोई साक्षी पेश नहीं किया है, परन्तु अभियोजन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण से उसने अपना बचाव प्रमाणित करने का प्रयास किया है। रामभान साकेत (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में स्वीकार किया है कि उसकी बहन की शादी राजीखुशी से हुई थी। उसकी बहन को कोई समस्या नहीं थी। वह अपने ससुराल से पिता के घर आती थी और पिता के घर से ससुराल खुशी–खुशी जाती थी वह जब भी अपनी बहन को हरियाणा में रहने के दौरान फोन करता था तो वह हमेशा यह बताती थी कि वह अच्छी है।

साक्षी पार्वती साकेत (अ.सा.2) मृतक की मां ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने कभी भी उसके सामने उसकी लड़की संगीता के साथ मारपीट नहीं की है। दोनों का विवाह राजीखुशी से हुआ था। उसने कभी भी अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस में शिकायत नहीं की। उसकी पुत्री संगीता ने भी अभियुक्त के खिलाफ कभी भी पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत भी नहीं की है। उसने इस बारे में कोई शिकायत नहीं की है कि अभियुक्त ने उसके सामने उसकी लड़की को घसीटा था।

इसी तरह साक्षी सुधा साकेत (अ.सा.3) ने स्वीकार किया है कि उसकी ननद संगीता को उसके सामने घसीटा गया था, यह बात उसने पुलिस को बता दी थी, परन्तु यदि यह बात उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी–1 में ना लिखी हो तो वह नहीं बता सकती।

साक्षी व्ही. एस. बरीबा (अ.सा.–11) ने स्वीकार किया है कि सुधा साकेत के कथन उसने उसके बताए अनुसार लिखे थे और सुधा साकेत ने उसे नहीं बताया था कि अभियुक्त ने सुधा साकेत को कोई धमकी दी थी या उसके मां के घर में उसे घसीटा था।

अभियोजन का तर्क :–

अभियोजन द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या की है और मृतिका के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव होता था, इसलिए अभियुक्त आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए सजा पाने का अधिकारी है।

बचाव पक्ष का तर्क :–

बचावपक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के आधार पर तर्क किया गया है उसने कोई क्रूरता नहीं की है। विवाह मृत्यु के 13 साल पूर्व हुआ था, इसलिए उसके विरूद्ध धारा 113 ए साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा लागू नहीं होती है। अतः उसे दोषमुक्त किया जाए।

ORDER WRITING
आदेश लेखन

Q.No. / प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks / अंक
6.	**ORDER WRITING (CIVIL)**	10

Write Order on the basis of facts given below :-

Plaintiff has presented an application under Order 39 Rule 1 & 2 read with Section 151 of the Civil Procedure Code, 1908. Plaintiff has stated in his application that he is the owner and possessor of ancestral land bearing survey no. 89/1 area 0.50 hectare. He is cultivating the said land since his father's lifetime i.e. from 50-60 years.

It is also stated in the application that defendant no. 1 has entered into an agreement with defendant no. 2 and 3 regarding sale of another property land survey no. 89/2 area 1.00 hectare (Suit Property). The suit land is situated adjacent to the plaintiff's land and he is in possession of the same. Due to this reason he had requested defendant no. 1 to sale his property to him instead of selling it to defendant no. 2 and 3 but defendant no. 1 refused his offer.

Plaintiff has also stated that he is in the peaceful possession of the suit land since more than 12 years. Therefore, on above grounds it is prayed to issue temporary injunction

against the defendants that they shall not interfere in peaceful possession of the plaintiff over suit land.

Plaintiff, in support of his application, has submitted his affidavit and two affidavits of residents of his village are also submitted on his behalf. As per the above affidavits defendants or there family member were never in possession of the suit property.

Plaintiff, in support of the facts stated in the application, has submitted a Panchnama and a certificate issued by the Gram Panchayat of his village. In the said documents it is mentioned that the Plaintiff is in the possession of the suit land since his father's lifetime. However, no revenue records have been submitted by the plaintiff, in his support.

Defendant no. 1 to 3, in their joint reply, has denied the pleadings of the application. They further stated that the suit land is the ancestral property of defendant no. 1 which he inherited 40-50 years back, from his father Nandlal in family partition. He has every right to enter into an agreement with any person since he is the sole owner and possessor of the suit land. Plaintiff has never been in possession of the suit land. Therefore On the basis of the above grounds, it is prayed to dismiss the application with costs.

Defendants, in their support, have submitted their affidavits and two other affidavits of residents of the village. As per the affidavits plaintiff has never been in possession of the suit land.

Defendants, in their support, have filed revenue records of the suit property which includes Kishtabandi Khatoni and Khasra Pasnchsala. As per the above documents name of defendant no. 1 is recorded in respect of the suit property.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :–

वादी ने आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 का आवेदन प्रस्तुत किया है। वादी ने उक्त आवेदन में यह लेख किया है कि उसकी पैतृक भूमि सर्वे क्रमांक 89/1 रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि का वह स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उस भूमि पर वह अपने पिता के जीवनकाल से अर्थात् 50–60 वर्षों से कृषि कार्य कर रहा है।

आवेदन में यह भी लेख किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्र0 2 एवं 3 के साथ एक अनुबंध अन्य सम्पत्ति सर्वे नं0 89/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर भूमि (वादग्रस्त सम्पत्ति) के संबंध में किया है। वादग्रस्त भूमि वादी की भूमि के बगल में ही स्थित है और वह उस सम्पत्ति के आधिपत्य में है। उक्त कारण से उसने प्रतिवादी क्र0 1 से उक्त भूमि प्रतिवादी क्र0 2 व 3 को विक्रय करने के बजाय उसे विक्रय करने का निवेदन किया था, लेकिन प्रतिवादी क्र0 1 ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

वादी ने यह भी अभिवचन किया है कि वह विगत 12 वर्षो से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि के शांतिपूर्ण आधिपत्य में है। अतः उक्त आधारों पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई है कि वे वादग्रस्त भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में किसी भी तरह से हस्तक्षेप न करें।

वादी ने अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है व उसकी ओर से दो शपथपत्र गॉव के निवासियों के भी प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त शपथपत्रों के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का अथवा उनके परिजनों का कभी भी कोई आधिपत्य नहीं रहा है।

वादी की ओर से अपने आवेदन में किये गये अभिकथनों के समर्थन में उसके गांव की ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया एक पंचनामा एवं एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों में यह लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का, उसके पिता के जीवनकाल से आधिपत्य है। यद्यपि वादी के द्वारा अपने समर्थन में कोई भी राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने अपने संयुक्त जवाब में आवेदनपत्र के अभिवचनों से इन्कार किया है। उन्होंने उत्तरतः कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 की पैतृक संपत्ति है, जो उसे अपने पिता नंदलाल से पैतृक बंटवारे में 40–50 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी। उसे किसी भी व्यक्ति के साथ वादग्रस्त भूमि के संबंध में अनुबंध करने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि वह वादग्रस्त भूमि का एकमात्र स्वत्व तथा आधिपत्यधारी है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी–भी आधिपत्य नहीं रहा। अतः उक्त आधारों पर आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में स्वयं के व दो अन्य ग्रामवासियों के शपथपत्र प्रस्तुत किये हैं। उक्त शपथपत्रों के अनुसार वादी कभी भी वादग्रस्त भूमि के आधिपत्य में नहीं रहा है।

प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जिनमें किश्तबंदी खतौनी एवं खसरा पांचसाला सम्मिलित है। उपरोक्त दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम वादग्रस्त भूमि पर अभिलिखित है।

अथवा / OR

ORDER WRITING (CRIMINAL)

Write Order on the basis of facts given below :-

In brief the applicant's case is that she was married with non applicant on 30-6-2019 at Gurunank Dharmashala Mumbai. They were living as husband and wife. After some days of the marriage non applicant started harassing her for dowry. In dowry he was demanding Rs.5 lakh and a four wheeler vehicle. After harnessing her non-applicant has expelled her from matrimonial home. She came to her parental home, she lodged First Information Report U/s 498A of Indian Penal Code, 1860. Applicant is unable to maintain her, while the non applicant is a branch manager in State Bank of India Andheri branch and draws Rs.70 thousand salary per month. Therefore, Non applicant be ordered to pay 30 thousand rupees per month as interim maintenance to applicant.

Non applicant has replied that the applicant is not interested to live in the matrimonial home. She has lodged false report against him, she is competent to maintain herself. Thus the application be rejected.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आदेश लिखिए :–

संक्षेप में आवेदिका का मामला यह है कि उसका विवाह अनावेदक के साथ दिनांक 30.6.2019 को गुरूनानक धर्मशाला मुम्बई में हुआ था। वे पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। विवाह के कुछ दिनों बाद अनावेदक ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज में वह पांच लाख रूपये तथा चार पहिया वाहन की मांग करता था। उसे प्रताड़ित कर अनावेदक ने उसे ससुराल से निकाल दिया। वह अपने माता–पिता के घर आ गई, उसने धारा 498 ए भारतीय दण्ड सहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, जबकि अनावेदक स्टेट बैंक आफ इंडिया, अंधेरी शाखा में ब्रांच मैनेजर होकर 70 हजार रूपये मासिक वेतन प्राप्त करता है। अतः अनावेदक को उसे 30 हजार रूपये मासिक अंतरिम भरण पोषण अदा किया जाना आदेशित किया जाये।

अनावेदक ने जवाब दिया है कि आवेदिका ससुराल में नहीं रहना चाहती। उसने उसके विरूद्ध असत्य रिपोर्ट दर्ज करायी है, वह अपना भरण पोषण करने में समर्थ है। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

*****